

# फर्द अहकाम

(नियम 26)


अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

कैलाश पुत्र सुवालाल बलाई निवासी किशनपुरा बरोदा वगैरह  
बनाम

घोसालाल पिता माधु बलाई निवासी किशनपुरा बरोदा वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 10 /2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
02-04-24	<p>प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ   प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया   प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम किशनपुरा प.ह. बरोदा आराजी सं. 279/11 कुल किता 01 रकबा 2.6466 हेक्टेयर भूमि स्थित है   अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है   अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगद्दी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगद्दी के आदेश प्रदान किये जावें   प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है  </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी   पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगद्दी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है   प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगद्दी किया जाना उचित समझता है  </p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111 / 128 रा.ले.रे. एक्ट स्वीकार जाता है ग्राम किशनपुरा प.ह. बरोदा आराजी सं. 279/11 कुल किता 01 रकबा 2.6466 हेक्टेयर भूमि स्थित भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगद्दी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ़ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है   कमीश्नर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे   पत्थरगद्दी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें   पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें   तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगद्दी के आदेश दिये जाते हैं   पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें  </p> <p>आदेश आज दिनांक 02/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया  </p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (शाहपुरा)</p>	

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

संक्रमांक/रीडर/2024/10/2024

दिनांक- 02/04/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय- प.सं. 10 / 2024 अमवान कैलाश पुत्र सुवालाल बलाई निवासी किशनपुरा बरोदा, बन्नाम घीसालाल पिता माधु बलाई निवासी किशनपुरा बरोदा, सोकरण पिता छेगा बलाई निवासी किशनपुरा बरोदा, घीसा पिता कल्याण गुर्जर निवासी किशनपुरा बरोदा, हिन्दूहा पिता भूरा गुर्जर निवासी किशनपुरा बरोदा की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम किशनपुरा प.ह. बरोदा आराजी सं. 279/11 कुल कित्ता 01 रकबा 2.6466 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु अ. अभिलेख निरीक्षक शककरगढ़ को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रुपये तथा किए जाते हैं जो प्राथी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन क्षेत्रकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला शाहपुरा